भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 675

जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

सड़क निर्माण के दौरान घनी आबादी वाले क्षेत्रों का विभाजन

675. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण और नवीकरण परियोजनाओं के कारण शहरी क्षेत्रों की निरंतरता बनी हुई है, के संभावित विभाजन पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन चौड़ीकरण कार्यकलापों द्वारा प्रमुख नगरों को दो भागों में विभाजित किए जाने को रोकने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एकीकृत शहरी क्षेत्रों में व्यवधान को कम करने और स्थानीय निवासियों के लिए बाधा से बचने के लिए चौड़ीकरण परियोजनाओं के दौरान पिलर वाले एलिवेटेड राजमार्गों और पर्याप्त अंडरपासों के निर्माण को कार्यान्वित करने तथा सुनिश्चित करने के उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अध्ययन के बाद किया जाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली परियोजनाओं के लिए, उन्नयन या नवीनीकरण का निर्णय उपलब्ध मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू), यातायात की भीड़ को कम करने, संभावित भूमि अधिग्रहण लागत, डिजाइन गति प्राप्त करने आदि जैसे मापदंडों के आधार पर लिया जाता है। इन मापदंडों के व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, राजमार्गों के साथ स्थित क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक लाभ-लागत अनुपात को अनुकूलित करने के लिए ब्राउनफील्ड या ग्रीनफील्ड संरेखण या बाईपास पर विकास के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

शहरी क्षेत्रों में मार्गाधिकार के प्रतिबंधित/ अनुपलब्ध होने की स्थिति में, यातायात परिमाण, स्थानीय यातायात पैटर्न, स्थान की उपलब्धता, पर्याप्त संरचनाओं जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर, सड़क उपरि पुल (आरओबी), रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी), पैदल यात्री अंडर पास (पीयूपी) आदि का अध्ययन करने के बाद व्यवधान को कम करने, अवरोध से बचने और सड़क प्रयोकताओं की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही के लिए प्रस्ताव दिया जाता है।

*****